

“ समन्वय केन्द्र प्रमाण-पत्र ”

क्रं.

मण्डला, दिनांक

मौ सरस्वती स्कूल शिक्षा ट्रायवल ओपन बोर्ड म.प्र. द्वारा दूरवर्ती/दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आपकी समिति/संस्था – को समन्वय केन्द्र सम्बद्धता हेतु प्राप्त आवेदन पत्र सत्र 2025–26 के संदर्भ में बोर्ड द्वारा आपके भवन /कार्यालय को निरीक्षण उपरांत सशर्त निर्देशों के अनुपालन में अस्थायी मान्यता संबद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है।

समन्वय केन्द्र केंद्र क्र.

1. बोर्ड द्वारा प्रदाय समस्त दिशा निर्देश, आदेश, अधिसूचना, पत्र व्यवहार का समन्वय केन्द्र को पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
2. बोर्ड द्वारा निरीक्षण नियमावली के अनुसार समन्वय केन्द्र को समस्त प्रकार के अभिलेख, सामग्रियों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
3. समन्वय केन्द्र (विद्यार्थी सहायता केन्द्र) हेतु भवन एवं कार्यालय में उचित बैठक व्यवस्था होना अनिवार्य है।
4. बोर्ड के द्वारा बनाए गए नियम निर्देश, फीस नियम एवं फीस विवरण दिए गए निर्देशों के अनुसार ही विद्यार्थी सहायता केन्द्र समन्वय केन्द्र को, छात्र-छात्राओं से फीस लेना होगा। यदि उससे अधिक फीस की मांग की जाती है तो विद्यार्थी सहायता केन्द्र समन्वय केन्द्र की मान्यता को अमान्य कर दी जाएगी।
5. विद्यार्थी सहायता समन्वय केन्द्र की अनुमति बोर्ड द्वारा अस्थाई तौर पर सत्र 2025–26 वर्ष के लिए दी जा रही है।
6. समन्वय केन्द्र द्वारा प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित राशि जमा करना होगा। बोर्ड द्वारा पुनः निरीक्षण उपरांत संतुष्ट एवं सही पाए जाने पर केन्द्र का नवीनीकरण किया जा सकेगा।
7. समन्वय केन्द्र द्वारा किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार करने से पहले बोर्ड से अनापत्ती लेना अनिवार्य होगा।

8. समन्वय केन्द्र द्वारा किसी भी प्रकार का बोर्ड के नियम विरुद्ध प्रचार-प्रसार/भ्रमित जानकारी या नियमों के उल्लंघन किए जाने पर समन्वय केंद्र संचालन की अनुमति बिना जानकारी दिए समाप्त कर दी जावेगी ।
9. बोर्ड के द्वारा बनाए गए नियम निर्देश, एवं आवेदन पत्र में प्रदाय कण्डिका 1 से 9 तक के समस्त नियमों का पालन करना समन्वय केन्द्र को अनिवार्य होगा ।

यह अनुमति समन्वय केन्द्र को सत्र 2025-2026 के लिए अस्थाई रूप से प्रदान की जा रही है, पुनः अगले सत्र में समन्वय केन्द्र को निरन्तर समन्वय केन्द्र संचालन हेतु नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत करना होगा। सत्र 2025-26 के मध्य में यदि समन्वय केन्द्र द्वारा बोर्ड से जारी आदेश, दिशा निर्देश की अवहेलना/उल्लंघन किए जाने पर समन्वय केंद्र संचालन की अनुमति पूर्णतः निरस्त कर दी जावेगी।

समिति का नाम :-

संस्था/कार्यालय का नाम :-

कार्यालय पता :-

.....

(बोर्ड के चेयरमैन द्वारा अनुमोदित)

सचिव/निदेशक
 माँ सरस्वती स्कूल शिक्षा ट्रायबल
 ओपन बोर्ड, जिला मण्डला, म.प्र.

पृष्ठ क्र./ /सम्बद्धता/ 2025 / 317

मण्डला, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष/सचिव, समिति को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी/अध्ययन केन्द्र मार्गदर्शक/शिक्षार्थी सहायता केन्द्र 308, तृतीय तल, (C21) केपीटल मॉल कॉर्पोरेट जोन, नर्मदापुरम रोड, मिसरोद, भोपाल, पिन कोड - 462047 भोपाल को सूचनार्थ ।

सचिव/निदेशक
 माँ सरस्वती स्कूल शिक्षा ट्रायबल
 ओपन बोर्ड, जिला मण्डला, म.प्र.